BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 07 दिसम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूटपाट करने के 04 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास व 14-14 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1.मोतीलाल, 2.गोपाल उर्फ गोपाली पुत्रगण मोहनलाल, 3.भगवानदास पुत्र फत्तेह सिंह व 4. एनसाब उर्फ रियासत पुत्र अल्लानूर निवासीगण ग्राम जवांकला थाना जवां जनपद अलीगढ़ द्वारा वर्ष-2017 में लूटपाट करने की कई दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड पर क्रमशः मुअसं–497/17, मुअसं-499/17, मुअसं-514/17 व मुअसं-519/14 धारा 395,397,412 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 14.03.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 02 गवाह परिक्षित हुआ, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 07.12.2024 को न्यायाधीश मौ0 नसीम (मा0 न्यायालय एडीजे-05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोतीलाल, गोपाल उर्फ गोपाली, भगवानदास व एनसाब उर्फ रियासत को 07-07 वर्ष का कारावास व 14-14 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विमल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।